

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1954

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

तेलंगाना में विद्युत का उत्पादन और खपत

†1954. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेलंगाना में विद्युत उत्पादन और खपत का ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थापित क्षमता और अधिकतम मांग कितनी है;

(ख) क्या तेलंगाना में ग्रिड और विद्युत वितरण कंपनियां वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल ऋण बोझ कितना है;

(ग) क्या तेलंगाना उजाला योजना का हिस्सा है और यदि हां, तो राज्य में इस योजना के लाभ क्या हैं और इसके कार्यान्वयन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने तथा बिजली चोरी की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार का बिजली उत्पादन बढ़ाने और बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : तेलंगाना राज्य में वर्तमान स्थापित क्षमता 18,922.24 मेगावाट है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक) के लिए तेलंगाना राज्य में विद्युत उत्पादन का स्रोत-वार विवरण अनुबंध-I पर है।

वर्ष 2025-26 के दौरान, तेलंगाना में 16,613 मेगावाट की अधिकतम मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक) के लिए ऊर्जा और अधिकतम मांग के संदर्भ में तेलंगाना की विद्युत आपूर्ति की स्थिति अनुबंध-II पर है।

(ख) : तेलंगाना में डिस्कॉम की संचित हानियां वित्त वर्ष 2019-20 में 42,293 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 69,741 करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गई हैं और उनका बकाया ऋण वित्त वर्ष 2019-20 में 22,202 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 59,230 करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया है।

(ग) : जी हाँ। उजाला (उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीस फॉर ऑल) स्कीम के अंतर्गत, तेलंगाना राज्य में कुल 28,75,082 एलईडी बल्ब बेचे गए हैं। इसके अलावा, उजाला स्कीम के अंतर्गत 3,13,793 एलईडी ट्यूब लाइट और 48,310 ऊर्जा दक्ष सीलिंग पंखे भी बेचे गए हैं।

उजाला स्कीम के कार्यान्वयन ने तेलंगाना राज्य में ऊर्जा दक्षता में सुधार में योगदान दिया है और विद्युत की खपत और घरेलू विद्युत के खर्चों को कम करने में मदद की है। वार्षिक ऊर्जा बचत, वार्षिक लागत बचत, अधिकतम मांग न्यूनीकरण और स्कीम के कारण अर्जित वार्षिक ग्रीन हाउस गैस न्यूनीकरण के संदर्भ में लाभों का विवरण **अनुबंध-III** पर है।

(घ) : विद्युत एक समवर्ती विषय होने के नाते, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए, डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति में सुधार और विद्युत चोरी के मुद्दे का समाधान करने के लिए आवश्यक उपाय करना संबंधित राज्य/वितरण यूटिलिटी की जिम्मेदारी है।

भारत सरकार (जीओआई) डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति में सुधार और समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में कमी के उद्देश्य से विभिन्न सुधार उपायों/स्कीमों के माध्यम से राज्यों/वितरण यूटिलिटी के प्रयासों में सहायता कर रही है।

भारत सरकार ने जुलाई 2021 में, देश में वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की थी। इस स्कीम का परिव्यय 97,631 करोड़ रुपये की अनुमानित सरकारी बजटीय सहायता (जीबीएस) के साथ 3,03,758 करोड़ रुपये है। इस स्कीम का उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को 12-15% तक कम करना तथा आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व प्राप्ति (एसीएस-एआरआर) अंतर को शून्य करना है।

इस स्कीम के अंतर्गत, उप-स्टेशनों और वितरण ट्रांसफार्मरों के उन्नयन/वृद्धि, कंडक्टरों के उन्नयन, चोरी वाले क्षेत्रों में एबीसी/कवर कंडक्टर/एचवीडीएस प्रणाली बिछाने, संचार सुविधाओं के साथ प्रणाली मीटरिंग के साथ-साथ मिश्रित-लोड फीडर आदि के पृथक्करण, और वितरण नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए स्मार्ट मीटर की स्थापना सहित हानि न्यूनीकरण कार्यों के लिए पात्र वितरण यूटिलिटी को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, 1.31 लाख करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत लागत के साथ लगभग 20.33 करोड़ स्मार्ट मीटर स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वितरण अवसंरचना/हानि न्यूनीकरण कार्यों के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत 1.53 लाख करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

केंद्र और राज्यों द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, एटीएंडसी हानियां वित्त वर्ष 2021 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 16.12% हो गई हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए वितरण यूटिलिटी के वित्तीय और प्रचालन मुद्दों से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- (i) राज्य सरकारों को जीएसडीपी का 0.5% अतिरिक्त उधार लेने की छूट दी गई है, जो उन पर विद्युत क्षेत्र में विशिष्ट सुधार करने के लिए सशर्त है।
- (ii) राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण स्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड जो निर्धारित शर्तों के निमित्त विद्युत वितरण यूटिलिटी के कार्यनिष्पादन के प्रासंगिक होंगे।
- (iii) ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) और लागत प्रतिबिम्बित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए नियम ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत की आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागत शामिल हैं।
- (iv) उचित सब्सिडी लेखांकन और उनके समय पर भुगतान के लिए जारी नियम और मानक संचालन प्रक्रिया।
- (v) टैरिफ और टू-अप ऑर्डर समय पर जारी करने के लिए एसईआरसी (राज्य विद्युत विनियामक आयोग) और जेईआरसी (संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग) के लिए परामर्शिका।

जहां तक तेलंगाना का संबंध है, विद्युत की चोरी के मुद्दे का समाधान करने के लिए, राज्य डिस्कॉम ने चोरी संभावित क्षेत्रों में विशेष निरीक्षण, उच्च हानि फीडरों में सर्किल वार गहन निरीक्षण, बुकिंग और उपयुक्त अदालत में अपराधियों के विरुद्ध मामले दर्ज करने, मीटर बॉक्स की सीलिंग आदि सहित कई उपाय किए हैं।

(ड) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। वर्तमान में (दिनांक 31.10.2025 तक की स्थिति के अनुसार) देश की स्थापित उत्पादन क्षमता 505.023 गीगावाट है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित 20वां इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) रिपोर्ट की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार, वित्त वर्ष 2031-32 तक देश की अनुमानित अधिकतम मांग 388 गीगावाट होने का अनुमान है। देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता वृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है:

(क) वर्ष 2034-35 तक कोयला एवं लिग्नाइट आधारित क्षमता की आवश्यकता लगभग 3,07,000 मेगावाट अनुमानित है, जबकि दिनांक 31.03.2023 तक स्थापित क्षमता 2,11,855 मेगावाट थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने अतिरिक्त न्यूनतम 97,000 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की है।

इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई पहलें की जा चुकी हैं। अप्रैल 2023 से नवंबर 2025 तक लगभग 16,560 मेगावाट की ताप क्षमता पहले ही चालू हो चुकी है। इसके अलावा, 40,345 मेगावाट ताप क्षमता (4,845 मेगावाट संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं सहित) वर्तमान में निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त, 22,920 मेगावाट के अनुबंध अवार्ड किए गए हैं और इनका निर्माण होना बाकी है। देश में अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 24,020 मेगावाट कोयला एवं लिग्नाइट आधारित संभावित क्षमता की पहचान की गई है, जो देश में योजना के विभिन्न चरणों में है।

(ख) 13,223.5 मेगावाट जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 4,274 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएं योजना के विभिन्न चरणों में हैं और वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) 6,600 मेगावाट की परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट की परमाणु क्षमता योजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) 1,56,900 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता जिसमें 69,180 मेगावाट सौर, 29,650 मेगावाट पवन और 57,630 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत निर्माणाधीन है, जबकि 36,530 मेगावाट सौर और 13,090 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 51,420 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता योजना के विभिन्न चरणों में है और वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ङ) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 11870 मेगावाट/71220 मेगावाट घंटा पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, कुल 6,580 मेगावाट/39,480 मेगावाट-घंटा क्षमता वाली पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) को स्वीकृति प्रदान की गई है और इनका निर्माण कार्य शुरू किया जाना है। 25,407.54 मेगावाट/77,092.52 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) वर्तमान में निर्माण/बोली के विभिन्न चरणों में है। तेलंगाना राज्य में परिकल्पित क्षमता वृद्धि का विवरण **अनुबंध-IV** पर है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक) के लिए तेलंगाना राज्य में विद्युत उत्पादन का स्रोत-वार विवरण

| वित्तीय वर्ष | वास्तविक उत्पादन (एमयू) | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|--------|-----------------------------------|--------|
| | पारंपरिक | | | नवीकरणीय (बड़े हाइड्रो को छोड़कर) | कुल |
| | कोयला | बड़े हाइड्रो | कुल | | |
| 2022-23 | 50,738 | 6,010 | 56,748 | 7,430 | 64,178 |
| 2023-24 | 56,914 | 1,243 | 58,157 | 7,509 | 65,666 |
| 2024-25 | 56,969 | 5,271 | 62,240 | 7,642 | 69,882 |
| 2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक) | 32,304 | 5,514 | 37,818 | 9,701 | 47,519 |

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक) के लिए ऊर्जा और अधिकतम मांग के संदर्भ में तेलंगाना की विद्युत आपूर्ति की स्थिति

| वित्तीय वर्ष | ऊर्जा | | | | अधिकतम | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----|-------------|---------------|----------------|-----|
| | ऊर्जा आवश्यकता | आपूर्ति ऊर्जा | अनापूर्ति ऊर्जा | | अधिकतम मांग | अधिकतम पूर्ति | अनापूर्ति मांग | |
| | (एमयू) | (एमयू) | (एमयू) | (%) | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (मेगावाट) | (%) |
| 2022-23 | 77,832 | 77,799 | 34 | 0.0 | 15,497 | 15,497 | 0 | 0.0 |
| 2023-24 | 84,623 | 84,613 | 9 | 0.0 | 15,622 | 15,622 | 0 | 0.0 |
| 2024-25 | 88,262 | 88,258 | 4 | 0.0 | 17,162 | 17,162 | 0 | 0.0 |
| 2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक) | 48,320 | 48,317 | 4 | 0.0 | 16,613 | 16,613 | 0 | 0.0 |

वार्षिक ऊर्जा बचत, वार्षिक लागत बचत, अधिकतम मांग न्यूनीकरण और उजाला स्कीम के कारण अर्जित वार्षिक ग्रीन हाउस गैस न्यूनीकरण के संदर्भ में लाभों के विवरण: -

| मद | बिक्री मात्रा | संचयी वार्षिक ऊर्जा बचत (एमडब्ल्यूएच) | संचयी वार्षिक लागत बचत (करोड़ में) | संचयी अधिकतम मांग न्यूनीकरण (मेगावाट) | संचयी वार्षिक जीएचजी (t-CO ₂) न्यूनीकरण |
|----------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| एलईडी बल्ब | 28,75,082 | 387.14 | 154.14 | 82.24 | 3,13,721.94 |
| एलईडी ट्यूब लाइट | 3,13,793 | | | | |
| एनर्जी एफिशिएंट सीलिंग फैन | 48,310 | | | | |

तेलंगाना राज्य में परिकल्पित क्षमता वृद्धि का विवरण

| स्कीम | कार्यान्वयन एजेंसी | क्षमता |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| यादाद्री टीपीएस | टीजीजेनको | 4000 मेगावाट (5 x 800 मेगावाट) |
| सिंगरेनी टीपीपी, पीएच-II | एससीसीएल | 800 मेगावाट |
| तेलंगाना एसटीपीपी, स्टेज- II | एनटीपीसी | 2400 मेगावाट (3 x 800 मेगावाट) |
| | कुल | 7200 मेगावाट |

टीजीजेनको: तेलंगाना पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन
एससीसीएल: सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड
एसटीपीपी: सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट
